राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच संख्या–02
बाह्य सिविल न्यायालय रूड़की, जिला हरिद्वार।
मूलवाद संख्या :–240 / 2022
कम्प्यूटर वाद संख्या :–240 / 2022
नईम बनाम फरहान

दिनांक 14.09.2024–

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विनीत कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 31क1 में कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादी, वादी का सगा भाई है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आपस में समझौता हो गया है। वादी अपने वाद में बल नहीं देना चाहता है, जिस कारण से वाद वापस किया जाना आवश्यक है। अतः वादी द्वारा उपरोक्त वाद में बल ना दिये जाने के कारण वाद को वापस किये जाने की प्रार्थना है।

पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया। वादी द्वारा अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रतिवादी से आपसी समझौता हो जाने के आधार पर इस वाद को प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा दिये जाने की याचना की गयी। ऐसी स्थिति में न्यायालय के मत में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित आधार पर्याप्त दर्शित होते हैं, जिनको दृष्टिगत रखते हुए वादी का प्रार्थना पत्र संख्या 31क1 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का प्रार्थना पत्र संख्या 31क1 उपरोक्त तथ्यों के आलोक में स्वीकार किया जाता है। वादी को उपरोक्त वाद प्रतिवादी से आपसी समझौता हो जाने के आधार पर प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है। वाद तद्नुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(विजय लक्ष्मी)
बैंच सदस्य / अधिवक्ता
रूड़की, जिला हरिद्वार।
14.09.2024

(रीतिका सेमवाल)
पीठासीन अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत /
सिविल जज (एस0डी0),
रूड़की, जिला हरिद्वार।
14.09.2024